पत्र संख्या 3/एम0-49/2013 सा0प्र0.....2406...... /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डा0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/
सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 19 फरवरी, 2014

विषयः- राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, लोक उपक्रमों की ओर से खिलाड़ी कर्मचारियों के मुख्यालय से बाहर या राज्य से बाहर खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम अथवा समारोह आदि में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी की स्वीकृति।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति समान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या 13867 दिनांक 13.11.1990 द्वारा राज्य सरकार द्वारा अपने खिलाड़ी कर्मचारियों को खेल प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक कलेण्डर वर्ष में उक्त संकल्प में उल्लिखित शर्त्तो के अधीन अधिकतम 30 (तीस) दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल महत्व की प्रतिस्पर्धाओं/प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने हेतु राज्य के खिलाड़ी कर्मचारियों को एक कलेण्डर वर्ष में बहुधा उक्त 30(तीस) दिनों की सीमा से अधिक अवधि तक कार्यालय से बाहर रहने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतिस्पर्धाओं/प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने की कुल अवधि उक्त 30 दिनों से अधिक हो जाने पर खिलाड़ी कर्मचारियों को बिना वेतन के ही उक्त स्पर्धाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे उनके खेल पर प्रतिकूल असर होता है।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ी कर्मचारियों की उपर्युक्त असुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपर्युक्त कंडिका-1 में उल्लिखित 30 दिनों के विशेष आकस्मिक छुट्टी के अलावे निम्नलिखित सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है कि-

(i) राज्य सरकार के खिलाड़ी कर्मचारियों को भी किसी अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने अथवा ऐसी किसी खेल प्रतिस्पर्धा के लिए pre-participation coaching camp के लिए चयनित होने पर उसमें भाग लेने के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अनुशंसा पर एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की 'अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी' स्वीकृत की जा सकेगी।

(ii) राज्य सरकार के खिलाड़ी कर्मचारियों को किसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने अथवा ऐसी किसी खेल प्रतिस्पर्धा के लिए pre-participation coaching camp के लिए चयनित होने पर उसमें भाग लेने के लिए उपर्युक्त उप-कंडिका 3(i) में उल्लिखित 30 दिनों की 'अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी' से भी अधिक अवधि के लिए छुट्टी लेने की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में प्रशासी विभाग द्वारा case-to-case आधार पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अनुशंसा से ऐसे खिलाड़ी कर्मचारियों को उक्त 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए भी आवश्यकतानुसार 'अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी' प्रदान की जा सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए इस प्रकार दी जाने वाली अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

(iii) ऐसी अतिरिक्त विशेष आकस्मिक छुट्टियों की स्वीकृति संबंधित खिलाड़ी कर्मचारियों को उनके द्वारा चयन संबंधी पत्र समर्पित करने पर और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अनुशंसा पर ही देय होगी । संबंधित प्रतियोगिताओं की समाप्ति के उपरांत अथवा pre-participation coaching camp की समाप्ति

के उपरांत खिलाड़ी कर्मचारियों द्वारा उसमें भाग लेने का प्रमाण उपलबध कराना होगा । संबंधित खिलाड़ी कर्मचारी द्वारा ऐसी प्रतियोगिताओं अथवा pre-participation coaching camp की समाप्ति के उपरांत उसमें भाग लेने का प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किये जा सकने की स्थिति में उक्त विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति समझी जायेगी और इसके लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,

(धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव